प्रकरण संख्या 05/2024 जीतमल व अन्य बनाम हालु व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक मडिया ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92–ए, 64(4), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालासिन्दुर, तहसील सज्जनगढ़ में आराजी नंबर 79, 80, 147, 150, 154, 326/153, 353/149, 354/148 कुल किता 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त परिवार की होकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा है। मौके पर आपसी मौखिक बंटवारा होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा पेड़ लगाकर कुंआ भी खोद रखा है। मूल पुरूष दुबला जी होकर उनके 3 पुत्र कालिया, चोखा व मडिया हुए। कालिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है तथा मडिया वादी है, जबकि चोखा सेटलमेन्ट के पूर्व से लापता है, जिसके 7 वर्षो में जीवित होने की कोई जानकारी नहीं होने से विधि के प्रावधान अनुसार मर चुका है। इस प्रकार दुबला के दोनों पुत्रों कालिया व मडिया का विवादित आराजियात में 1/2, 1/2 हिस्सा है, किन्तु कालिया बड़ा भाई होने से भील जाति के रिवाज अनुसार कालिया अकेले के नाम दर्ज हो गयी, जबकि 1/2 हिस्से पर कब्जा वादी का विगत 45 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 08.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 17.05.2024 को यह अपील इस न्यायालय में की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

श्री बी. एम. पुरी उपस्थित हुए। अपीलान्ट श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री जारी की है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक माह फरवरी 2024 को तब हुई, जब रेस्पोडेन्टगण मौके पर आये और विवाद करते हुए कहा कि हम दावा जीत गये हैं। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्टगण को होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सूचना दिया एवं बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रकरण अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने हेतु नियत था, किन्तु अपीलान्टगण की बिना तामील कराये तथा बिना कोई सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र वादी के कथनानुसार उसका वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में विवादित आराजियात अपीलान्टगण के पिता कालिया के नाम दर्ज है तथा कालिया की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान अपीलान्टगण का नाम दर्ज हुई, जो जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अवलोकन से स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 05/2024 जीतमल व अन्य बनाम हालु व अन्य

है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट मडिया जो कालिया का भाई था, ने विवादित भूमि कालिया व मडिया के संयुक्त खातेदारी की बताते हुए वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र वादी के कथनानुसार सरपंच से प्रमाणित सजरे अनुसार वादी का कालिया का छोटा भाई होने के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जबकि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने का कोई प्रमाण वादी/रेस्पोडेन्ट मडिया द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। राजस्व रेकार्ड अनुसार समस्त भूमि कालिया की थी। वादी का दावा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत था, जिसमें उसके द्वारा उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की घोषणा चाही गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में मात्र वादी मडिया को सुनकर सरपंच से सजरा प्रमाणित होना लिखकर वाद डिक्री कर दिया, जबकि धारा 88 के दावे में लोक अदालत में राजीनामे के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जबकि इस प्रकार का कोई राजीनामा नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में वाद डिक्री किया है, जबकि वादी द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की या पैत्रृक साबित होती हो। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 22/2014 निर्णय एवं डिक्री 08.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.10.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested